न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास – श्री अशोक कुमार, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 101/2016

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
हरीराम पुत्र भंवरलाल गिंवारिया निवासी नागौर।		तहसीलदार, नागौर।

उपस्थिति :–

1. श्री पीर मोहम्मद अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री कुन्दनसिंह आचीणा राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट्स की ओर से।

निर्णय दिनांकः 20.02.18

{1}–मामलें के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार, नागौर द्वारा धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 55/2016 सरकार बनाम हरीराम में निर्णय दिनांक 06.05.16 के तहत मौजा नागौर के खसरा नं. 451 गै.मु. अंगोर भूमि से बेदखली एवं शास्ति के आदेश से असंतुष्ट होकर दिनांक 12.05.16 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की अपील दिनांक 13.05.16 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अदालत मातहत का मूल अभिलेख मंगवाया गया। रेस्पोडेन्ट की ओर से श्री कुन्दनसिंह आचीणा राजकीय वकील उपस्थित हुए।

{2}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि –

{2}(I)–अपीलांट पश्चातवर्ती अतिक्रमी नही है।

{2}(II)–जब अपीलांट ने उक्त प्लोट क्रय किया था। तब अपीलांट को यह जानकारी नही थी कि उक्त प्लोट अंगोर है। अपीलांट को पूर्व में कभी भी बेदखल नही किया गया है। अपीलांट की चारदीवारी खरीद के पहले से मौजूद थी। जिसमें अपीलांट ने कोई परिवर्तन नही किया था। उक्त प्लोट नागौर कस्बा की आबादी के पास होने से अपीलांट ने उक्त जमीन आबादी का होना मानकर क्रय की थी। जिसकी लिखापढी की गयी थी, मगर रजिस्ट्री नही करवायी।

{2}(III)– वकील अपीलांट द्वारा यह भी बताया गया कि अपीलांट ने आराजी भूमि से अतिक्रमण हटा लिया है तथा अधीनस्थ न्यायालय ने भी अपने पत्र क्रमांक 799 दिनांक 16.05.16 के द्वारा भौतिक रूप से कब्जा हटा लिये जाने की पुष्टि भी कर दी है। इसलिये सिविल कारावास की सजा माफ की जानी चाहिये तथा अपने कथन के समर्थन में आरआरटी 2014–15 (Supp.) पेज 728 से 730 तथा पेज 680 से 682 नजीरे पेश की है।

{3}–राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान बताया गया कि अपीलांट द्वारा नागौर में स्थित गै.मु. अंगौर भूमि पर अतिक्रमण किये जाने पर विधिवत प्रकरण दर्ज कर अपीलांट को नोटिस जारी किया गया। अपीलाधीन आदेश में अपीलान्ट को अतिक्रमी माना जाकर निर्णय जैर अपील पारित किया गया है। इससे पहले प्रकरण सं. 37/15 में बेदखली कार्यवाही दिनांक 05.08.15 को हुई है। जिसको पटवारी के बयानों में साबित भी करवाया गया है। इस प्रकार अतिक्रमण की पुनरावृति होने पर ही सिविल कारावास की सजा का आदेश पारित किया गया है। जो सही एवं उचित होने से यथावत कायम रखा जाना चाहिये।

{4}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। पटवारी हल्का की अतिक्रमण रिपोर्ट में आराजी भूमि वाके नागौर के खसरा नंबर 451 गै.मु. अंगौर भूमि पर अतिक्रमण किया जाना पाया गया है तथा आराजी भूमि राजकीय भूमि होना रेकर्ड से साबित है। आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलांट को विधिवत नोटिस दिया गया है। इससे पहले प्रकरण सं. 37/15 में दिनांक 05.08.15 को भौतिक रूप से बेदखली कार्यवाही भी किया जाना फर्द बेदखली व पटवारी के बयान से साबित है जिसका सत्यापन करवाये जाने पर तहसीलदार द्वारा भी भौतिक रूप से अतिक्रमण हटा लिये जाने की पुष्टि की गई है। ऐसी स्थिति में आदेश जैर अपील में सजा के बिन्दु पर नरम रूख अपनाया जाना उचित प्रतीत होता है तथा अब आराजी भूमि से अतिक्रमण हटा भी लिया गया है। ऐसी स्थिति में आदेश जैर अपील के तहत बेदखली व जुर्माना पर हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। परंतु सजा के बिन्दु नरम रूख अपनाया जाना उचित है।

अपर कलक्टर, नागौर

{5}– उपरोक्त विवेचनात्मक विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील खारिज की जाती है। आदेश जैर अपील के तहत बेदखली व जुर्माना का आदेश यथावत कायम रखा जाता है। सिविल कारावास की सजा इस शर्त के साथ माफ की जाती है कि अपीलांट ने आराजी भूमि से अतिक्रमण हटा लिया तथा भविष्य में आराजी भूमि तथा किसी भी राजकीय भूमि पर अतिक्रमण नही करने के संबंध में इस आदेश जारी होने के 15 दिवस में अधीनस्थ न्यायालय में शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा तथा अधीनस्थ न्यायालय स्वयं मौका निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करेंगें कि अपीलांट का भौतिक रूप से अतिक्रमण है अथवा नही। यदि भौतिक रूप से अतिक्रमण पाया जाता है तो सिविल कारावास की सजा यथावत कायम रहेगी।

{6}–निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार)
अपर कलक्टर,
नागौर

अपर कलक्टर, नागौर